



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012022-232876
CG-DL-E-25012022-232876

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]
No. 311]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2022/माघ 4, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2022/ MAGHA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2022

का.आ. 319(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH16 के किमी. 98 किमी. से 111 किमी. तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH16 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	तहसीलदार, भण्डारीपोखरी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उड़ीसा	भद्रक	भण्डारीपोखरी	1 पाहि महुरा-२१

		NH16 के कि.मी. 98 से 111 तक			
--	--	-----------------------------------	--	--	--

[फा. सं. NHAI/BOT/11012/58/2005/Pt./LA/NH-16]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2022

S.O. 319(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 98 to Km. 111 of the NH16 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of ODISHA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH16 in the State of ODISHA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Tahasildar, Bhandaripokhari	98KM. To 111KM.	ODISHA	BHADRAK	Bhandaripokhari	1 Pahimahura - 21

[F. No. NHAI/BOT/11012/58/2005/Pt./LA/NH-16]

RAJESH GUPTA, Director